

क्र. सं.  
15/2  
अप. सं. (प्र. सं.)

O.S.D (प्र. सं.)  
T.D.

92/1/12

मध्यप्रदेश शासन  
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक 213 /एफ-2-12/2018/एक/अड़तालीस,

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2021

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,  
भोपाल।

विषय - पंचदश विधान सभा के माननीय सदस्यों को लैपटॉप/कंप्यूटर क्रय हेतु अनुदान।

संदर्भ - इस विभाग का पत्र/आदेश क्रमांक 996/एफ-2-12/2018/एक/अड़तालीस, दिनांक 24 अगस्त, 2019.

संदर्भित आदेश द्वारा पंचदश विधान सभा के माननीय सदस्यों को लैपटॉप/कंप्यूटर क्रय करने पर रुपये 50,000/- तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया था।

2/ वित्त विभाग ने पत्र दिनांक 11.2.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2021-22 के बजट साहित्य की पुस्तकों का मुद्रण करने के साथ-साथ डिजिटल रूप से भी जारी किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, जिसके लिए माननीय विधायकों को डिजिटल रूप से बजट देखने की व्यवस्था की जाना होगी।

3/ अतः निर्णय लिया गया है कि संदर्भित आदेश दिनांक 24 अगस्त, 2019 में संशोधन करते हुए लैपटॉप/कंप्यूटर के साथ टेबलेट को भी शामिल किया जाए।

4/ कृपया जिन माननीय सदस्यों ने लैपटॉप/ कंप्यूटर क्रय नहीं किया है उन्हें आगामी सत्र के पूर्व लैपटॉप/कंप्यूटर/टेबलेट क्रय करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



( राजेश गुप्ता )

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
संसदीय कार्य विभाग

पृ. क्रमांक /एफ-2-12/2018/एक/अड़तालीस,

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2021

प्रतिलिपि -

- (1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 152/आर-22/2021/चार/ब-1, दिनांक 11.2.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) महांलेखाकार (सिविल एवं वाणिज्य लेखा परीक्षा) प्रथम, मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
संसदीय कार्य विभाग